कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर-17डी, चण्डीगढ़-160017
REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017
www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in
दूरभाष/ Telephone: 271190, 2701158, 2701135 फैक्स/Fax: 2710453

संख्या : 23(72)/प्रशासन-V/10

दिनांक : 18/06/18

कार्यालय हेतु परिसर को किराये पर लेने के लिए निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

मंडी गोबिन्दगढ़ (बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन के नजदीक/आसानी से पहुंचने योग्य हो, को अधिमान दिया जाएगा) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जिला कार्यालय हेतु पट्टे पर उचित परिसर की तत्काल आवश्यकता है ।

आवास में अपेक्षित सुख-सुविधाओं सहित लगभग 1100 स्क्वैयर फीट क्षेत्र (मंडी गोबिन्दगढ़ कार्यालय हेतु) शामिल होना चाहिए । किराया केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने वाले किराये से अधिक नहीं होना चाहिए । भू-स्वामी को क.भ.नि.सं. के अनुबंध के मानक फॉर्मेट के अनुसार पट्टा अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा । अनुबंध की प्रति एवं अन्य नियम व शर्तों को हमारी वैबसाइट अर्थात www.epfindia.com से नीलामी/निविदा लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है । इच्छुक भू-स्वामी मंडी गोबिन्दगढ़ हेतु अपने आवेदन विस्तृत जानकारी (भवन का नक्शा, न्यूनतम किराया, अन्य नियम व शर्तें इत्यादि) सहित बंद लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "जिला कार्यालय, मंडी गोबिन्दगढ़ हेतु परिसर" लिखकर क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, क.भ.नि.सं., एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ को दिनांक 13.07.2018 को प्रातः 11:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदनों को भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित होंगे) की उपस्थिति मे, उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे खोला जाएगा । सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताये एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

...2....

कार्यालय परिसर हेतु आवास को किराये पर देने के लिए विस्तृत नियम व शर्तें निम्न प्रकार से है :

1. मालिक को आवश्यक रूप से यह सत्यापित करना होगा कि किराये पर दिये जाने वाले आवास के विरूद्ध कोई अदालती मामला लंबित नहीं है व उसका आवास पर पूर्ण स्वामित्व है। निजी मालिकों से मुख्तारनामे पर कोई भी परिसर किराये पर नहीं लिया जाएगा ।
2. फर्शी क्षेत्र (Carpet area) व ढ़के हुए क्षेत्र (Covered area) के सटीक माप का उल्लेख करना होगा । यह भी उल्लेख करना होगा कि दिए गए भाव दर, फर्शी क्षेत्र या ढ़के हुए क्षेत्र में से किसके लिए है ।
3. अग्नि संरक्षा अनापत्ति, यदि लागू हो, इत्यादि सहित भवन का समापन/अधिभोग प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा । कोई अन्य सांविधिक अपेक्षाएं जैसेकि बिजली विभाग, जल आपूर्ति इत्यादि भी आवश्यक रूप से पूर्ण करनी होंगी ।
4. सेवा कर/सोसायटी कर का भुगतान मालिक द्वारा किया जाएगा
5. भवन के भूमितल पर स्थित परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी ।
6. पंजीकरण शुल्क तथा अन्य आकस्मिक प्रभारों सहित कुल भुगतान किए जाने वाले किराये का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा । पट्टे की अवधि तथा पुनरीक्षण की अवधि का उल्लेख करना होगा ।
7. किराया भुगतान के नियम व शर्तों का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा।
8. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस तथा जिला प्राधिकारियों से दूरी का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा ।
9. भवन के दो फोटोग्राफ (एक नजदीक से व दूसरी दूर से) संलग्न करने होंगे ।
10. पट्टे की अवधि 5 वर्ष होगी जिसमें बीच में पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।
11. अग्रिम किराये का भुगतान पालन नहीं किया जाना चाहिए ।
12. प्रस्ताव के साथ परिसर का नक्शा संलग्न करना होगा ।
13. मालिक को यह वचनपत्र देना होगा कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराये की तुलना में भाव-दर अधिक होने के मामले में, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित उचित किराया स्वीकार्य होगा ।

-ह-

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEE'S PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4.7, सैक्टर-17डी, चण्डीगढ़- 160017
REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017
www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in
फैक्स / Fax : 2710453 दूरभाष / Telephone : 2701190, 2701158, 2701355

File No. 23(72)/Admn-V/ 110

Date: 18.06.2018

Notice Inviting Tenders for Hiring of Office Premises

Suitable premises are urgently required on lease for EPFO District Office in Mandi Gobindgarh (preferably near to Bus stand/ Railway Station/ approachable in all respects).

The accommodation should consist of area approx. 1100 Sq. ft. (for Mandi Gobindgarh office) having requisite facilities/amenities. The rent should not be more than that of the rent to be assessed by CPWD. Land owner will have to sign Lease Agreement as per EPFO standard format of agreement. The copy of the agreement and other terms and conditions can be downloaded from our website i.e. www.epfindia.com under the link Auction/Tenders. The interested building owners may send their application in sealed cover with detailed information (Map of building, Minimum rent, other terms & conditions etc.) by 13.07.2018 up to 11:00 A.M mentioning on envelope "Premises for District Office Mandi Gobindgarh" to Regional P F Commissioner, EPFO, SCO 4-7, Sector 17-D, Chandigarh. The application will be opened on the same day at 3:00 PM in the presence of the representatives of the owners of the building, if present. The Competent Authority reserves the right to accept/reject one or all offers without assigning any reason whatsoever.

The detailed terms and conditions while hiring accommodation for office building are given here under: -

1. The owner must certify that there is no court case pending against the accommodation to be hired and clear title exists. No hiring on Powers of Attorney from private owner.

2. Exact measurement of carpet area and the covered area must be mentioned. It is to be specified whether the rate quoted is for carpet area or covered area.

3. Completion/occupancy certificate of building including clearance of fire safety etc. from Competent Authority with application must be enclosed. Any other statutory requirements like from electricity department, water supply etc. must also be fulfilled.

4. Service tax/ society tax shall be paid by the owner.

5. The premises will be preferred if it is situated at **Ground Floor** of the building.

6. Total rent to be paid including registration fee and other incidental charges must be mentioned. The period of lease and the period of revision to be specified.

7. Terms and conditions of rent payment must be mentioned.

8. Distance from Railway station, Bus Stand, Post Office and District Authorities must be mentioned.

9. Two photographs of the building (one close up and another long shade) to be enclosed.

10. The period of lease should be 5 years with no revision in between.

11. Payment of advance rent must not be adhered to.

12. Layout Plan of the premises should be enclosed with the offer.

13. The owner is to submit the undertaking that the fair rent to be assessed by CPWD will be acceptable, in case the quoted rate is higher than the rent to be assessed by the CPWD.

Sd

Regional P.F Commissioner